



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-ए.एस.-अ.-20042026-271914
CG-AS-E-20042026-271914

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1880]

नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 20, 2026/चैत्र 30, 1948

No. 1880]

NEW DELHI, MONDAY, APRIL 20, 2026/CHAITRA 30, 1948

रेल मंत्रालय

(पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे)

अधिसूचना

मालीगांव, 16 अप्रैल, 2026

का.आ. 1950(अ).— रेलवे अधिनियम, 1989 (1989 का 24) की धारा 2 के खंड (37ए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार निम्नलिखित परियोजनाओं को, नीचे दी गई तालिका के कॉलम (2) में उल्लिखित विशेष रेलवे परियोजना के रूप में, उक्त तालिका के कॉलम (3) में उल्लिखित राज्य में आधिकारिक राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से अधिसूचित करती है:

सारणी

विशेष रेल परियोजना

क्रम सं.	विशेष रेलवे परियोजना का नाम	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र
(1)	(2)	(3)
1.	प्रस्ताव: एलसी संख्या KJ-46 के स्थान पर, किमी 70/7-8 पर, स्टेशन ARR से SMH के बीच 2-लेन आरओबी (रेलवे ओवर ब्रिज) का निर्माण।	बिहार

2.	प्रस्ताव: एलसी संख्या KJ-56 के स्थान पर, किमी 85/8-9 पर, स्टेशन SMH से FBG के बीच 2-लेन आरओबी (रेलवे ओवर ब्रिज) का निर्माण।	बिहार
3	प्रस्ताव: एलसी संख्या KJ-58 के स्थान पर, किमी 88/8-9 पर, स्टेशन SMH से FBG के बीच 2-लेन आरओबी (रेलवे ओवर ब्रिज) का निर्माण।	बिहार
4	प्रस्ताव: एलसी संख्या KJ-63 के स्थान पर, किमी 94/2-3 पर, स्टेशन SMH से FBG के बीच 2-लेन आरओबी (रेलवे ओवर ब्रिज) का निर्माण।	बिहार
5	प्रस्ताव: एलसी संख्या KJ-72 के स्थान पर, किमी 104/4-5 पर, स्टेशन BTF से JBN के बीच 2-लेन आरओबी (रेलवे ओवर ब्रिज) का निर्माण।	बिहार
6	प्रस्ताव: एलसी संख्या SK-247 के स्थान पर, किमी 43/9-44/0 पर, स्टेशन ADQ-GAGA के बीच 2-लेन आरओबी (रेलवे ओवर ब्रिज) का निर्माण।	बिहार
7	प्रस्ताव: एलसी संख्या KJ-43 के स्थान पर, किमी 66/2-3 पर, स्टेशन KSY से ARR के बीच 2-लेन आरओबी (रेलवे ओवर ब्रिज) का निर्माण।	बिहार
8	प्रस्ताव: एलसी संख्या KJ-69 के स्थान पर, किमी 100/0-1 पर, स्टेशन FBG से BTF के बीच आरओबी (रेलवे ओवर ब्रिज) का निर्माण।	बिहार

[फा. सं. जीएसयू/एमआईएससी/2026/5]

राम मूर्ति मीणा, मुख्य परियोजना प्रबंधक/गतिशक्ति/कटिहार (LA)

MINISTRY OF RAILWAYS

(Northeast Frontier Railway)

NOTIFICATION

Maligaon, the 16th April, 2026

S.O. 1950(E).— In exercise of the powers conferred by clause (37A) of Section 2 of the Railways Act, 1989 (24 of 1989), the Central Government hereby notifies the following projects as special railway project, as mentioned in column (2) of the table below in the State mentioned in column (3) of the said table with effect from the date of publication of these notification in the Official Gazette.

TABLE
Special Railway Project

Sl.No.	Name of the Special Railway Project	State/UT
(1)	(2)	(3)
1.	PROPOSAL FOR CONSTRUCTION OF 2 LANE ROB IN LIEU OF LC NO. - KJ-46, AT KM 70/7-8, BETWEEN STATION ARR TO SMH	Bihar
2.	PROPOSAL FOR CONSTRUCTION OF 2 LANE ROB IN LIEU OF LC NO. - KJ-56, AT KM 85/8-9, BETWEEN STATION SMH TO FBG.	Bihar
3.	PROPOSAL FOR CONSTRUCTION OF 2 LANE ROB IN LIEU OF LC NO. - KJ-58, AT KM 88/8-9, BETWEEN STATION SMH TO FBG.	Bihar

4.	PROPOSAL FOR CONSTRUCTION OF 2 LANE ROB IN LIEU OF LC NO. - KJ-63, AT KM 94/2-3, BETWEEN STATION SMH TO FBG.	Bihar
5	PROPOSAL FOR CONSTRUCTION OF 2 LANE ROB IN LIEU OF LC NO. - KJ-72, AT KM 104/4-5, BETWEEN STATION BTF TO JBN.	Bihar
6	PROPOSAL FOR CONSTRUCTION OF 2 LANE ROB IN LIEU OF LC NO. - SK-247, AT KM 43/9-44/0, BETWEEN STATION ADQ-GAGA	Bihar
7	PROPOSAL FOR CONSTRUCTION OF 2 LANE ROB IN LIEU OF LC NO.- KJ-43, AT KM 66/2-3, BETWEEN STATION KSY TO ARR	Bihar
8	PROPOSAL FOR CONSTRUCTION OF ROB IN LIEU OF LC NO. - KJ-69, AT KM 100/0 1, BETWEEN STATION FBG TO BTF.	Bihar

[F. No. GSU/MISC/2026/5]

RAM MURTI MEENA, Chief Project Manager/Gatishakti/Katihar (LA)

अधिसूचना

मालीगांव, 16 अप्रैल, 2026

का.आ. 1951(अ).— केन्द्रीय सरकार, रेल अधिनियम, 1989(1989 का 24), की धारा 2 के खण्ड (7क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, Pइस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (2) जिला के संबंध में बिहार राज्य में विशेष रेल परियोजना के निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंधन और संचालन के लोक प्रयोजन के लिए नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (2) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त अधिनियम के अधीन ऐसे प्राधिकारी के रूप में कृत्यों का निर्वहन करने के लिए सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है

सारणी

क्रम सं.	सक्षम प्राधिकारी	जिला
(1)	(2)	(3)
1	जिला भू-अर्जन पदाधिकारी / अररिया.	अररिया.
2	जिला भू-अर्जन पदाधिकारी / किशनगंज	किशनगंज

[फा. सं. जीएसयू/एमआईएससी/2026/5]

राम मूर्ति मीणा, मुख्य परियोजना प्रबंधक/गतिशक्ति/कटिहार (LA)

NOTIFICATION

Maligaon, the 16th April, 2026

S.O. 1951(E).— In exercise of the powers conferred by clause (7A) of Section 2 of the Railways Act, 1989(24 of 1989), the Central Government hereby authorise the officer mentioned in column (2) of the table below as “Competent Authority” to perform the functions as such authority under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette in respect of the special railway project of in the State of Bihar relating to district Mentioned in Column (3) of the said table for the public purpose of execution maintenance, management and operation of such special Railway Project.

TABLE

Sl. No.	Competent Authority	District
(1)	(2)	(3)
1	District Land Acquisition Officer, Araria	Araria
2	District Land Acquisition Officer, Kishanganj	Kishanganj

[F. No. GSU/MISC/2026/5]

RAM MURTI MEENA, Chief Project Manager/Gatishakti/Katihar (LA)